संख्या-२-ई०एम०/२००१-का-४-२००४

प्रेषक,

वी०के०मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनॉकः दिसम्बर 08,2004

विषय - कर्मचारी संगठनों की मॉगों के संबंध में ।

महोदय,

मेरे पूर्वाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत शासनादेश संख्या-३-ई०एम०/२०००-का-४-२००१, दिनॉक १५ दिसम्बर ,२००१ के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को विभागीय प्रमुख सचिवों/ सचिवों द्वारा संबंधित संथों के प्रतिनिधिमण्डलों के साथ तथा प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को विभिन्न महासंथों के प्रतिनिधियों के साथ कार्मिक विभाग के माध्यम से बैठकें आहूत की जाय ताकि शासन एवं कर्मचारी संगठनों के मध्य सामन्जस्य एवं सौहार्द्र बना रहे ।

२- मेरे संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन संगठनों की मॉगों पर विचार-विमर्श /बैठकें नहीं की जाती हैं, जिससे उनके द्वारा मेरे स्तर पर बैठकें आहूत किये जाने का अनुरोध किया जाता है । उक्त स्थिति उचित नहीं कही जा सकती है। अतः शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(१) विभिन्न मान्यता प्राप्त सेवा संघों की मॉगों पर , प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों/ सचिवों के स्तर पर बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

(२) मान्यता प्राप्त परिसंघों एवं महासंघों की मॉगों पर कार्मिक विभाग द्वारा बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय ।

३- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(वी० के० मित्तल)
मुख्य सचिव ।

२